

समाहरणालय, मधेपुरा।

(सामान्य शाखा)

आदेश

सरकार के प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-128 दिनांक-17/03/2016(छयाप्रति संलग्न) के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में मांग संख्या-22 मुख्य शीर्ष-2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम, उप शीर्ष-0003-स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को विशेष भत्ता के विषय शीर्ष-0401-पेंशन तथा विपत्र कोड संख्या-एन0 2235602000003 के अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को राज्य सरकार से सम्मान भत्ता भुगतान हेतु पूर्व में प्राप्त आवंटन के अतिरिक्त मो0-3,30,000.00\* (तीन लाख तीस हजार) रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसमें से कॉलम संख्या- 06 में पूर्व के उपावंटन के अतिरिक्त कॉलम संख्या- 07 के अनुसार सुरंगत वित्तीय प्रावधानों के अंतर्गत मो0-5000.00(पाँच हजार) रुपये प्रतिमाह प्रति सेनानी की दर से भुगतान के लिए राशि की निकासी हेतु निम्नांकित कार्यालय प्रधान को (संलग्न पेंशनधारियों की सूची के अनुसार) उनके नाम के सामने अंकित पेंशनधारियों की संख्या के अनुरूप राशि उपावंटित किया जाता है-

क्र०	उपावंटन प्राप्त करनेवाले पदाधिकारी का पदनाम	पेंशनधारियों की संख्या			पूर्व में आवंटित की गई राशि (उपावंटन आदेश ज्ञापांक-302 दिनांक-13/02/16)	वर्तमान में उपावंटित की जा रही राशि	वित्तीय वर्ष 2015-16में कुल उपावंटित राशि
		मूल	आश्रित	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा।	03	06	09	3,60,000/-	45,000/-	4,05,000/-
2	अंचल अधिकारी, सिंहेश्वर।	05	08	13	5,20,000/-	65,000/-	5,85,000/-
3	अंचल अधिकारी, कुमारखंड।	02	02	04	1,60,000/-	20,000/-	1,80,000/-
4	अंचल अधिकारी, मुरलीगंज।	04	02	06	2,40,000/-	30,000/-	2,70,000/-
5	अंचल अधिकारी, उदाकिशुनगंज।	03	06	09	3,60,000/-	45,000/-	4,05,000/-
6	अंचल अधिकारी, चौसा।	01	04	05	2,00,000/-	25,000/-	2,25,000/-
7	अंचल अधिकारी, आलमनगर।	शून्य	03	03	1,20,000/-	15,000/-	1,35,000/-
कुल -		18	31	49	19,60,000/-	2,45,000/-	22,05,000/-

वर्तमान में उपावंटित कुल राशि- मो0 दो लाख पैतालीस हजार रुपये मात्र।

- (1) संलग्न विवरणी में आवंटित राशि निकासी उपरांत केन्द्रीय राजस्व से पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य के जीवित स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके आश्रितों को जीविता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् उचित पहचान के आधार पर पूर्व की भाँति भुगतान किया जाएगा।
- (2) यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्याँ-2561 दिनांक-17/04/1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
- (3) उपावंटित राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में ए0सी0 विपत्र से नहीं किया जायेगा। आवश्यकतावुसार राशि की निकासी Fully Vouchered and Prereceipted Bill पर ही किया जायेगा, ताकि भविष्य में डी0सी0 विपत्र जमा करने की स्थिति उत्पन्न नहीं हो।
- (4) उपर्युक्त राशि की निकासी हेतु विपत्र के साथ आवश्यक कागजातों को संलग्न किया जाना आवश्यक होगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जानेवाले प्रमाण पत्र का उल्लेख अवश्य किया जायेगा।
- (5) आवंटित राशि के अतिरिक्त यदि अतिरिक्त राशि बकाया देय हेतु आवश्यक हो तो मांग-पत्र तीन दिनों के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- (6) आवंटित राशि का व्यय के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण पत्र/प्रत्यार्पण प्रतिवेदन दिनांक-25 मार्च, 2016 तक जिला सामान्य शाखा, मधेपुरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

इसकी सूचना सभी सम्बंधितों को दें।

ह0/-  
जिलाधिकारी  
मधेपुरा।

ज्ञापांक-<sup>536</sup>सा0, मधेपुरा दिनांक- 21 मार्च, 2016

प्रतिलिपि- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/अंचल अधिकारी, सिंहेश्वर/  
कुमारखंड/ मुरलीगंज/उदाकिशुनगंज/चौसा एवं/आलमनगर/ कोषागार  
पदाधिकारी, मधेपुरा को (आवंटनादेश पत्रांक-128 दिनांक-17/03/2016संलग्न)  
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ।  
निदेश है कि इसे जिला के वेबसाईट एवं सम्बंधित को ईमेल करने हेतु  
प्रेषित।

प्रतिलिपि- सरकार के प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना  
के पत्रांक-128 दिनांक-17/03/2016के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

  
जिलाधिकारी  
मधेपुरा



७



बिहार सरकार  
गृह (विशेष) विभाग

श्री प्रमोद

6-2/15

183

निबंधित  
ई-मेल

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,  
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,  
बिहार।

पटना, दिनांक :-.....

विषय:-

चालू वित्तीय वर्ष २०१५-२०१६ में मुख्य शीर्ष-२२३५-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-६०-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-२००-अन्य कार्यक्रम-०००३-स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को विशेष भत्ता के अन्तर्गत निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में राज्य के पेंशनधारी स्वतंत्रता सेनानियों को दिनांक-०१.०८.२०१५ के प्रभाव से बढ़े हुए दर पर राज्य सरकार द्वारा देय विशेष भत्ता मद में माह दिसम्बर, २०१५ से जनवरी, २०१६ तक की अंतर राशि (५०००-२०००=३०००)/-रुपये प्रति माह प्रति सेनानी की दर से कुल २,२७,६४,०००/- (दो करोड़ सताईस लाख चौसठ हजार) रुपये, जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक-७७ दिनांक-१०.०२.२०१६ के द्वारा श्री कपिलदेव शर्मा को बकाया राज्यांश का भुगतान हेतु अधियाचित राशि २,६८,९५०/- (दो लाख अरसठ हजार नौ सौ पचास) रुपये, जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक-१६०/सा० दिनांक-१५.०२.२०१६ के आलोक में गत वर्षों के बकाया राज्यांश पेंशन राशि का भुगतान करने के निमित्त १०००००/- (एक लाख) रुपये एवं जिला पदाधिकारी, अरवल के पत्रांक-९०/सा० दिनांक-०८.०२.२०१६ के आलोक में गत वर्षों के बकाया राज्यांश पेंशन राशि का भुगतान करने के निमित्त ५,५०,०००/- (पाँच लाख पचास हजार) रुपये कुल २,३६,८२,९५०/- (दो करोड़ छत्तीस लाख बेरासी हजार नौ सौ पचास) रुपये मात्र का आवंटन दिया जाता है:-

क्र० सं०	जिला का नाम	पेंशनधारियों की अनुमा-जिता सं०	वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में विभागीय प०-२१५ दि०-१४.०५.१५, प०-३२१ दि०-२३.०७.१५, प०-५५३ दि०-२७.११.१५ एवं प०-०२ दि०-०७.०१.१६ एवं प०-३० दि०-२५.०१.१६ के द्वारा विशेष भत्ता के आवंटित की गई राशि	बकाया राज्यांश का भुगतान हेतु अधियाचित राशि का आवंटन	दि०-०१.०८.१५ के प्रभाव से राज्य सरकार द्वारा देय विशेष भत्ता में वृद्धि के फलस्वरूप दिसम्बर, २०१५ एवं जनवरी, २०१६ माह की अंतर राशि (५०००-२०००=३०००)/- रुपये की दर से का आवंटन	वित्तीय वर्ष २०१५-१६ अन्तर्गत आवंटित राशि का कुल योग
१.	२.	३.	४.		५.	६.
१.	मधुबनी	३८६	१३८९६०००		२३१६०००	१६२१२०००
२.	मोतिहारी	१०३	३७०८०००		६१८०००	४३२६०००
३.	अररिया	२५	९०००००		१५००००	१०५००००
४.	सीवान	२६	९३६०००		१५६०००	१०९२०००
५.	वैशाली	११२	४०३२०००		६७२०००	४७०४०००
६.	औरंगाबाद	२७	९७२०००		१६२०००	११३४०००
७.	दरभंगा	२४०	८६४००००		१४४००००	१००८००००
८.	शेखपुरा	४	१४४०००		२४०००	१६८०००
९.	मुजफ्फरपुर	१४०	५०४००००		८४००००	५८८००००
१०.	बाँका	१३०	४६८००००		७८००००	५४६००००

20/11/15  
19/3/16



11.	मुंगेर	154	5544000		924000	6468000
12.	गयादा	25	900000		150000	1050000
13.	मधेपुरा	55	1980000		330000	2310000
14.	बेतिया	63	2268000		378000	2646000
15.	गोपालगंज	29	2011950		174000	2185950
16.	सासाराम	69	4140000		414000	4554000
17.	सारण	92	3812000		552000	4364000
18.	समस्तीपुर	62	2232000		372000	2604000
19.	बक्सर	19	684000		114000	798000
20.	भागलपुर	255	9180000		1530000	10710000
21.	गया	69	2484000	1000000	414000	2998000
22.	सीतामढ़ी	67	2412000		402000	2814000
23.	सखीसराय	31	1116000		186000	1302000
24.	खगड़िया	108	3888000		648000	4536000
25.	कटिहार	50	1800000		300000	2100000
26.	जहानाबाद	51	1836000	268950	306000	2142000
27.	जमुई	27	972000		162000	1134000
28.	भोजपुर	282	10152000		1692000	11844000
29.	नालंदा	104	3744000		624000	4368000
30.	भभुआ	32	1152000		192000	1344000
31.	पूर्णिया	43	1548000		258000	1806000
32.	पटना	692	24912000		4152000	29064000
33.	अरवल	29	1044000	550000	174000	1768000
34.	सुपौल	44	1584000		264000	1848000
35.	सहरसा	73	2628000		438000	3066000
36.	किसनगंज	03	108000		18000	126000
37.	बेगूसराय	57	2052000		342000	2394000
38.	शिवहर	16	576000		96000	672000
कुल:-		3,794	13,97,07,950	9,18,950	22764000	16,33,90,900
			योग-		2,36,82,950	

(दो करोड़ छत्तीस लाख बरसी हजार नौ सौ पचास) रुपये मात्र

(2) उपर्युक्त राशि का व्यय, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम, उप शीर्ष-0003-स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को विशेष भत्ता, के विषय शीर्ष-0401-पेंशन, मांग संख्या-22 तथा विपत्र कोड सं०-एन2235602000003 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-2016 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

(3) आवंटित राशि में से केन्द्रीय राजस्व से पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को ही जिलाधिकारी द्वारा उचित पहचान के आधार पर पूर्व की भाँति विशेष भत्ता प्रति माह भुगतान किया जायेगा। साथ ही, चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में आवंटित किये गये राशि में से स्वतंत्रता सेनानी/आश्रितों को भुगतान करने के पश्चात् यदि राशि अवशेष रह जाती है तो गत वर्षों का बकाया एवं फरवरी-मार्च 2016 का पेंशन राशि का भुगतान भी किया जायेगा।

(4) यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या सं०-2561, दिनांक-17.4.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

(5) प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना इसके नियंत्रण पदाधिकारी तथा संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारी इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्ववत् घोषित रहेंगे। इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(आमिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापक-..... पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव।

क०प०३०.....



(3)

ज्ञापक-..... पटना, दिनांक-.....  
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु  
प्रेषित।

ज्ञापक-..... 128 ..... पटना, दिनांक-..... 17/03/2016 .....  
प्रतिलिपि:- आईओटीओ मैनेजर, तकनीकी कोषांग, गृह विभाग, बिहार, पटना को  
विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधितों को ई-मेल के माध्यम से संसूचित करने  
हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हO/-  
सरकार के प्रधान सचिव।

Om  
17.3.16  
सरकार के प्रधान सचिव।

(5)



अनुमंडल कार्यालय, मधेपुरा

जीवित मूल एवं आश्रित स्वतंत्रता सेनानी पेंशनधारियों की विशेष भत्ता (सम्मान भत्ता) माह-फरवरी, 2016 का 5,000.00 (पाँच हजार) रुपये प्रतिमाह प्रति सेनानी की दर से भुगतान हेतु पेंशनधारियों की सूची-

क्र०	नाम एवं पता	लेखा संख्या	अवधि	कुल भुगतान राशि
1	श्री भोलेश्वर प्रसाद यादव पे०-स्व० मणिक यादव, सा०+पो०-मधेपुरा	एस०/सी० 33006	माह-फरवरी, 2016	5,000/-
2	श्री कृष्णानन्द यादव, पे०-स्व०-बंशीलाल यादव, सा०+पो०-धुर्गाँव	एस०/सी० 33516	तदैव	5,000/-
3	श्रीमती नुनुदाय देवी पति- स्व० अयोध्या प्र० यादव सा०+पो०-साहुगढ़	एस०/सी० 32944	तदैव	5,000/-
4	श्रीमती आभा रानी, पति-स्व०सुर्य ना० मंडल, सा०-पिपराही, मिठाही।	एस०/सी० 33550	तदैव	5,000/-
5	श्रीमती चतुर्मेज देवी, पति- स्व० अयोधी मंडल सा०-तुनियाही।	एस०/सी० 00/928	तदैव	5,000/-
6	श्री विष्णुदेव साह, पे०-स्व० सुदामा साह, सा०-पथराहा, पो०-पैलाढ़।	एस०/सी० 9400428	तदैव	5,000/-
7	श्रीमती दुखनी, पति-स्व०हरिलाल साह, सा०-ईटहरी।	एस०/सी० 9703475	तदैव	5,000/-
8	श्रीमती गायत्री मिश्र, पति- स्व० नरेश मिश्र, सा०-खाड़ाबुधमा	एस०/सी० 20001	तदैव	5,000/-
9	श्रीमती मंजू यादव, पति-स्व०भूपेन्द्र नारायण यादव, सा०-मधेपुरा।	एस०/सी० ड०-19229704 100	तदैव	5,000/-
कुल-				45,000/-

मो०-पैतालीस हजार रुपये मात्र।

19-3-16

प्रभारी पदाधिकारी  
सामान्य शाखा, मधेपुरा।

19/3

(6)

अंचल कार्यालय,सिंहेश्वर।

जीवित मूल एवं आश्रित स्वतंत्रता सेनानी पेंशनधारियों की विशेष भत्ता (सम्मान भत्ता) माह- फरवरी, 2016 का 5,000.00 (पाँच हजार) रुपये प्रतिमाह प्रति सेनानी की दर से भुगतान हेतु पेंशनधारियों की सूची-

क्र०	नाम एवं पता	लेखा संख्या	अवधि	कुल भुगतान राशि
1	श्री शिवदत्त मंडल, पे०-स्व० चन्द्रगणी मंडल सा०-जोगबनी, पो०-सिंहेश्वर।	एस०/सी० 33261	माह- फरवरी, 2016	5,000/-
2	श्री यमुना प्रसाद मेहता, पे०-स्व० चमलाल मेहता, सा०-सुखासन, पो०-गनहास सुखासन।	एस०/सी० 33635	तदैव	5,000/-
3	श्री जगदीश मंडल, पे०-स्व० गवैरधन मंडल, सा०-हसनपुर, पो०-दोखरी।	एस०/सी० 33063	तदैव	5,000/-
4	श्री नशीबलाल गुप्ता, पे०-स्व० नगरु गुप्ता, सा०-तरावे, पो०-करोहर।	एस०/सी० 9803302	तदैव	5,000/-
5	श्रीमती मन्दोदरी देवी, पति- स्व० भुवनेश्वर प्रसाद सिंह, सा०+पो०-पटोरी।	एस०/सी० 20474	तदैव	5,000/-
6	श्रीमती पारो देवी, पति-स्व० रामोतार साह, सा०-पटोरी, पो०-गम्हरिया बाजार,	एस०/सी० 31683	तदैव	5,000/-
7	श्रीमती श्यामदुलारी देवी, पति-स्व० प्रेम ना० मिश्र, सा०-ईटहरी, पो०-रूपौली।	एस०/सी० 4327	तदैव	5,000/-
8	श्री मधुसुदन लाल दास, पे०-स्व० अयोध्या लाल दास, सा०-गम्हरिया।	एस०/सी० 30738	तदैव	5,000/-
9	श्रीमती अलोघनी देवी, पति-स्व० कमलेश्वरी साह, सा०-चिकनी खाड़, पो०-भवानीपुर।	एस०/सी० 33968	तदैव	5,000/-
10	मो०-अहिल्या देवी, पति-स्व० तेजनारायण चौधरी, सा०-सुखासन, पो०-सिंहेश्वर।	एस०/सी० 9400536	तदैव	5,000/-
11	मो०-सरस्वती देवी, पति-स्व० रामबली गुप्ता, सा०-बैहरी, पो०-सिंहेश्वर	एस०/सी० 33067	तदैव	5,000/-
12	श्रीमती पुरनी देवी पति-स्व० विन्देश्वरी मंडल, सा०-चम्पानगर, पो०-गिद्धा।	एस०/सी० 33655	तदैव	5,000/-
13	श्रीमती तारा देवी, पति-स्व० सिंहेश्वर मेहता, सा०-बगबियानी, पो०-कहुआ, थाना-शंकरपुर, जिला-मधेपुरा।	एस०/सी० 9703680	तदैव	5,000/-
कुल-				65,000/-

मो०-पैसठ हजार रुपये मात्र।

19-3-16  
प्रभारी पदाधिकारी  
सामान्य शाखा, मधेपुरा।

